छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 269/2006</u>

श्री सुशील कुमार सक्सेना,
वल्द स्व0श्री पी.एल.सक्सेना,
रामसागरपारा, दलिया गोदाम के पास,
(वार्ड नंबर 1)
तहसील व जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,
कोरबा (छत्तीसगढ़)
.... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 03 मार्च 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुशील कुमार सक्सेना ने जन सूचना अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, कोरबा के कार्यालय में दिनांक 06–03–2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था। जहां पर कार्यवाही नहीं होने के कारण दिनांक 21–04–2006 को अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और उक्त अपील का समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण दिनांक 06–07–2006 को छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभयपक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, कोरबा को दिनांक 06–12–2006 को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था। श्री एस.आर.भगत, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर देने हेतु समय चाहा गया था, किन्तु उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रकरण में अंतिम सुनवाई के समय तक भी प्रतिअपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की जाकर अंतिम सुनवाई की गई। अंतिम सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें काफी समय बाद अधूरी जानकारी दी गई और 05 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गई थी, उसमें से केवल 03 बिन्दुओं की जानकारी ही मिली और शेष 02 बिन्दुओं की जानकारी नहीं मिली, जिसमें से एक थी कि श्री विश्वकर्मा का सेवाकाल अवधि कब समाप्त हुई तथा दूसरी यह थी कि जिस नोटशीट में उनकी सेवावृद्धि की गई थी, उसकी प्रति उन्हें नहीं दी गई। जन सूचना अधिकारी श्री डी. के. दिव्य ने अपने उत्तर में यह बताया था कि

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ एवं स्थापना कक्ष प्रभारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण ही उनके द्वारा जानकारी नहीं दी जा सकी थी। अतः इस स्थिति में श्री दिव्य की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। उप पंजीयक श्री भगत सुनवाई के समय एक उत्तर प्रस्तुत किया था जो शायद अपूर्ण था। अतः उनके द्वारा वापस लिया गया और उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु और समय चाहा गया था, किन्तु अंत तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उप पंजीयक की ही त्रुटि रही है और स्थापना कक्ष प्रभारी से जानकारी लेकर उन्हें देना चाहिए था। अतः इस संबंध में विलम्ब के लिए श्री एस.आर.भगत, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ को दोषी पाया जाता है और इस विलम्ब के लिए और अपूर्ण जानकारी देने के लिए अधिनियम की धारा–5(5) के अंतर्गत श्री भगत, उप पंजीयक को जन सूचना अधिकारी मान्य करते हुए श्री एस. आर.भगत, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, कोरबा पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 5,000/– रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी श्री सुशील कुमार सक्सेना को इस विलम्ब और अपूर्ण जानकारी के कारण हुई मानसिक व आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विभाग की ओर से 1000/– रुपये की राशि प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं और साथ ही यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि जिन 02 बिन्दुओं की जानकारी शेष रही है, वह अब 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त